पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 111/2023

अनवान :

दिलबाग सिंह पुत्र कृपाराम जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. कृपाराम पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
2. नरेश कुमार पुत्र कृपाराम जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
3. बाला देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
4. सतीश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
5. मंजू कुमारी पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी योगेश कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हाल बांडाहेड़ी तहसील व जिला हिसार।
6. अंजू पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी सोमश कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हाल बांडाहेड़ी तहसील व जिला हिसार।
7. संजू पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी जितेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हाल बांडाहेड़ी तहसील व ज़िला हिसार।
8. सरस्वती पुत्री कृपाराम पत्नी राजबीर सिंह जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हाल लोहारी जाटू तहसील व जिला भिवानी हरियाणा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के जमाबंदी संवत 2075—2078 के खाता सं0 211/431 के ख0सं0 200 की 6.2600 है0 तथा ख0सं0 497/1 की 8.5370 है0 कुल खसरे 2 की 14.7970 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 कृपाराम के नाम 4685/29594 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 कृपाराम को 1/5 हिस्सा, वादी दिलबाग सिंह 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 नरेश कुमार 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 सरस्वती 1/5 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 3 बाला देवी, प्रतिवादी संख्या 4 सतीश, प्रतिवादी संख्या 5 मंजू कुमारी, प्रतिवादी संख्या 6 अंजू, प्रतिवादी संख्या 7 संजू को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर [illegible] किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.05.2025 को [illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamSca

...यक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 111/2023

उनवान :

दिलबाग सिंह पुत्र कृपाराम जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. कृपाराम पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
2. नरेश कुमार पुत्र कृपाराम जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
3. बाला देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
4. सतीश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
5. मंजू कुमारी पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी योगेश कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हाल बांडाहेड़ी तहसील व जिला हिसार।
6. अंजू पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी सोमश कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हाल बांडाहेड़ी तहसील व जिला हिसार।
7. संजू पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी जितेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हाल बांडाहेड़ी तहसील व जिला हिसार।
8. सरस्वती पुत्री कृपाराम पत्नी राजबीर सिंह जाति खाती निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हाल लोहारी जाटू तहसील व जिला भिवानी हरियाणा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरड़ा के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता सं0 211/431 के ख0सं0 200 की 6.2600 है0 तथा ख0सं0 497/1 की 8.5370 है0 कुल खसरे 2 की 14.7970 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 कृपाराम के नाम 4685/29594 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा रामजीलाल की खातेदारी हुआ करती थी जो रामजीलाल के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 [illegible] 8 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 9 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में दिलबाग सिंह पुत्र कृपाराम जाति खाती नि[illegible] शेरड़ा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम शेरड़ा खाता संख्या 211/431 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा शेरड़ा खाता संख्या 307/324 संवत

...यक कलक्टर (...ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

2047–2050 प्रदर्श 2, शपथ पत्र दिलबाग सिंह प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र कृष्ण पुत्र कृपाराम प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरड़ा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम शेरड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा शेरड़ा के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता सं0 211/431 के ख0सं0 200 की 6.2600 है0 तथा ख0सं0 497/1 की 8.5370 है0 कुल खसरे 2 की 14.7970 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 कृपाराम के नाम 4685/29594 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 कृपाराम को 1/5 हिस्सा, वादी और प्रतिवादी संख्या 2 व 8 प्रत्येक 1/5 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता सं0 211/431 के ख0सं0 200 की 6.2600 है0 तथा ख0सं0 497/1 की 8.5370 है0 कुल खसरे 2 की 14.7970 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 कृपाराम के नाम 4685/29594 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 कृपाराम को 1/5 हिस्सा, वादी दिलबाग सिंह 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 नरेश कुमार 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 सरस्वती 1/5 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 3 बाला देवी, प्रतिवादी संख्या 4 सतीश, प्रतिवादी संख्या 5 मंजू कुमारी, प्रतिवादी संख्या 6 अंजू, प्रतिवादी संख्या 7 संजू को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner